संख्याः /XXII/ 2005–44 (सू0) 2003

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून, दिनांक 18 फरवरी,2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 के आयोजनेत्तर पक्ष में विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 81/XXII/ 2005–44 (सू0) 2003, दिनांक 06 मई,2005, संख्याः 150/XXII/2005–44 (सू0) 2003, दिनांक 12 जुलाई,2005 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या–2231/सू0 एवं लो0स0वि0 (लेखा)/बजट आवंटन/ 2005–06, दिनांक 24 दिसम्बर, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तरांचल के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–14 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष में पूर्व में जारी स्वीकृतियों के अतिरिक्त कुल रू0 31,70,185.00(रूपये इकतिस लाख सत्तर हजार एक सौ पिचासी) मात्र की धनराशि निम्नलिखित उपलेखाशीर्षकों एवं विभिन्न मानक मदों के सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार आवंटित किये जाने तथा आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लेखाशीर्षक/उपलेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
2220–सूचना तथा प्रचार 60– अन्य व्यय 103– प्रेस सूचना सेवायें 05– टेलीप्रिंटर योजना	42–अन्य व्यय	22,00,000.00
	योग	22,00,000.00
2220– सूचना तथा प्रचार 60– अन्य 106– क्षेत्र प्रचार 03– अधिष्ठान	14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	9,70,185.00
	योग	9,70,185.00
	महायोग	31,70,185.00

(रूपये इकतिस लाख सत्तर हजार एक सौ पिचासी मात्र)

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही हो। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

4. मितव्यता की मदें यथा दूरभाष एवं वाहनों में मितव्यता बरती जायेगी। जिन पद धारकों के एक हैसियत से उनके आवास कार्यालय में दूरभाष/वाहन दिया जा चुका है उन्हें पुनः पदेन हैसियत से वाहन/दूरभाष नहीं दिया जायेगा। आवास पर एक विभाग से दूरभाष प्राप्त होने पर दूसरे विभाग से दूरभाष अनुमन्य नहीं होगा। मोबाईल फोन यदि शासन एवं वित्त विभाग की अनुमति के बिना

अनानुमन्य पदधारकों को दिये गये हैं तो उन्हे तत्काल वापस ले लिया जाये। रू0 12,000– 16,500 अथवा इससे उच्च वेतनमान के पद धारकों को यदि आवास और कार्यालय में दूरभाष दिया गया है तो उन्हे मोबाईल फोन किसी भी स्थिति में नही देय होगा। विभागीय बजट में अनानुमन्य पदधारकों को वाहन व दूरभाष नही दिये जायेगें।

5. आतिथ्य व्यय में कतिपय खर्चों पर उ0प्र0 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर रोक लगायी गयी है अतः उक्त आदेश/शासनादेश प्राप्त कर इसकी पुष्टि करके इसका अनुपालन उत्तरांचल में भी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका , बजट मैनुअल भण्डार क्रय नियम (स्टोर, परचेज रूल्स), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।उपकरणो का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

7– कम्प्यूटर आदि का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग के संस्तुति के उपरान्त ही उनके दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2006 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उक्त तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9. समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयत्र का क्रय तथा वाहन का क्रय की स्वीकृति पर वित्त विभाग की सहमति नितांत आवश्यक है।

10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर के अंतर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित संबंधित लेखाशीर्षकों के सुसंगत मानक मदों के नाम में डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 81/वित्त–5/2006, दिनांक 14 फरवरी, 2006 द्वारा उनकी सहमति से अंकित द्वारा जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या 47 /XXII/ 2005–44 (सू0) 2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूँ /गढवाल मण्डल।
3. वित्त अनुभाग–5
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. बजट राजकोषीय अधिकारी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव